न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 18/2017 तारीख रजू 24.03.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद गोयल पुत्र दामोदर प्रसाद गोयल (मौके पर विक्रेता) मैसर्स विष्णु सेल्स एजेन्सीज गर्ग हॉस्पीटल के पास मेन रोड पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर निवासी गणेश पीपली के पास शहर, सवाई माधोपुर पोस्ट व जिला सवाई माधोपुर
2. विष्णु प्रसाद गोयल पुत्र दामोदर प्रसाद गोयल (फर्म मालिक) मैसर्स विष्णु सेल्स एजेन्सीज गर्ग हॉस्पीटल के पास मेन रोड पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर निवासी गणेश पीपली के पास शहर, सवाई माधोपुर पोस्ट व जिला सवाई माधोपुर
3. शिव दत्त पांडे पुत्र लोक मनी पांडे निवासी 31, फ्रेन्ड्स कॉलोनी वार्ड 31 पोस्ट एंव जिला अलवर (नोमिनी) मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड खसरा नं0 528 एसबीबीजे बैंक के सामने पोस्ट सिंकदरा जिला दौसा – 303326
4. मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड खसरा नं0 528 एसबीबीजे बैंक के सामने पोस्ट सिंकदरा जिला दौसा – 303326
5. धीरेन्द्र कुमार सिंह (नोमिनी) मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड ग्राम ताजपुर तहसील नूँह जिला मेवात 122107
6. मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड ग्राम ताजपुर तहसील नूँह जिला मेवात 122107 (निर्माता फर्म)

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 28/07/2023

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 22.05.2016 को समय 11.30 ए.एम. पर मैसर्स विष्णु सेल्स एजेंसीज गर्ग हॉस्पीटल के पास मेन रोड पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहॉ पर गोविन्द प्रसाद गोयल पुत्र दामोदर प्रसाद गोयल जाति महाजन (मौके पर विक्रेता) निवासी गणेश पीपली के पास शहर सवाई माधोपुर पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था। जिसको आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

वाटर, फ्रूट ड्रिंक्स एवं स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थी। दुकान में फर्श पर खाद्य पदार्थ **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा) 600 मिली0** की 500 बोतले रखी हुई थी, के मिसब्राण्ड होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा विक्रेता के द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं **खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा) 600 मिली0** के क्रय बिल की छायाप्रति पेश की एवं फर्म मालिक विष्णु प्रसाद गोयल पुत्र दामोदर प्रसाद गोयल (फर्म मालिक) निवासी गणेश पीपली के पास शहर सवाई माधोपुर होना बताया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा) 600 मिली0** की 20 बोतले वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 500/— रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीद शुदा **खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा) 600 मिली0** की 20 बोतलों को 04 बराबर भागों में बांटकर 04 कार्टन पैकेट्स में रखकर 04 नमूना भाग तैयार किये तत्पश्चात आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक—एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच—937** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिसे विक्रेता **गोविन्द प्रसाद पुत्र दामोदर प्रसाद गोयल** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सैन वाहन चालक कार्यालय मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग—अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक/एफएसएसए/2016/2168 दिनांक 12.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा)**

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

600 मिली0 खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1707/एक्ट/2016/2674 दिनांक 22.07.2016 द्वारा मिसब्राण्डेड (**Misbranded**) पाया गया।

आवेदक द्वारा लाइसेंस, फर्म मालिक एवं क्रय बिल की सूचना हेतु मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड सिंकदरा दौसा को पत्र लिखा गया। मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड सिंकदरा दौसा का प्रत्युत्तर मय वेट इन्वाईस, खाद्य अनुज्ञापत्र एवं नोमिनी फार्म की स्वप्रमाणित प्रतियां प्राप्तकी गई।

आवेदक द्वारा लाइसेंस एवं फर्म मालिक की सूचना हेतु मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड ताजपुर मेवात को पत्र लिखे गए। मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड ताजपुर मेवात का प्रत्युत्तर मय खाद्य अनुज्ञापत्र एवं नोमिनी पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्राप्त की गई।

उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड **Misbranded खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा) 600 मिली0** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वंय एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा **खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा) 600 मिली0** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरूद्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.3.1(5) की धारा का उल्लघंन किये जाने का बयान किया गया है परन्तु अभियुक्तगण ने निवेदन किया है कि अभियुक्तगण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.3.1(5) में कोई भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 211 के विनियम 2.3.1(5) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं लेवल पर घोषित **"No Artificial Flavour"** जानकारी किसी भी प्रकार से भ्रमित (Misleading) नहीं कर बिलकुल सही घोषित है। उत्पाद निर्माण में किसी भी प्रकार के **Artificial Flavour** का उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे उत्पाद से उक्त धारा का किसी भी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट संख्या एलएस/1707/एक्ट/2016/2674 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.3.1(5) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है जबकि अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया गया कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग) विनियम 211 के विनियम 2.3.1(5) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं लेवल पर घोषित **"No Artificial Flavour"** जानकारी किसी भी प्रकार से भ्रमित (Misleading) नहीं कर बिलकुल सही घोषित है। उत्पाद निर्माण में किसी भी प्रकार के **Artificial Flavour** का उपयोग नहीं किया गया है। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नमूना उत्पाद " Carbonated Water, Sugar, Acidity Regulators (330,331),Stabilizers (450,445), Preservative (211), Contains Permitted Synthetic Food Colours(110), Added Flavours (Natural Flavouring Substances) " के संघटक से निर्मित है। जिससे यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि नमूना उत्पाद के स्वाद में किसी भी प्रकार के **Artificial Flavour** का उपयोग नहीं किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के **खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर (मिरिन्डा) 600 मिली0** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त 1 लगा. 6 पर संयुक्त रूप से 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:56 IST
Reason: SelfAttested